15 सी०
2.2

संख्या— / ।।।(2)/15—28(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

डायरी नं० 8678
फाईल न० 9 सी
दिनांक 01/06/2015

लोक निर्माण अनुभाग—2

देहरादूनः दिनांकः 16 मई, 2015

विषयः— जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी—देवलीखेत—डयौड़ाखाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी0—7 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्र सं0:—7794/507 याता0—कु0/14 दिनांक 14—10—2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013—14 में शासनादेश सं0:— 6000/।।।(2)/13—23(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22—11—2013 के संलग्नक के क्रमांक—7 पर स्वीकृत कार्य " जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी—देवलीखेत—डयौड़ाखाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी0—7 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का " लम्बाई 9.00 किमी0 तथा लागत ₹ 52.65 लाख है, का नाम परिवर्तित कर " जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी—देवलीखेत—डयौड़ाखाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी0—10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का निर्माण" किये जाने की माननीय श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22—11—2013 के संलग्नक के क्रमांक—7 पर अंकित कार्य का मात्र उक्तानुसार नाम में परिवर्तन किया गया है। उक्त मार्ग की लम्बाई तथा लागत में कोई परिवर्तन नही किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22—11—2013 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3— उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22—11—2013 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

1556
27/05/15

संख्याः— 4089 (1)/।।।(2)/15—23(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांयू मण्डल, अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0एस0 पांगती)
उप सचिव

सहायक अभियंता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
रानीखेत

पत्रांक – 1556/15 सी० – 01/15 दि० 29/5/15
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो० नि० वि० रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
प्रति प्रा० का को।

अधीक्षण अभियन्ता,
अल्मोड़ा वृत्त, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

डायरी नं० 5843
फाईल नं० 1 AC
दिनांक 13/12/13

(2)

संख्या:– 6000 / III(2)/13–28(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु, संलग्न विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 50.50 किमी0 है तथा लागत ₹ 439.90 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **436.14** लाख (₹ चार करोड़ छत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 08 कार्य हेतु ₹ 0.80 लाख (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

2277
29/11/2013

सहायक अभियंता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
रानीखेत

8

6000

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 488/XXVII/(2)/2013 दि0: 21 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्याः– (1)/ III(2)/13–28(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो.नि0वि0, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

सहायक अभियंता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
रानीखेत

शासनादेश संख्याः–6000/III(2)/13–28(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	**मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:–441/2012 के अन्तर्गत** जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड–भटवाड़ी में संगमचट्टी–गजोली–नौगांव–भंकोली–अगोड़ा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य।	10.00	58.50	0.10
2	**मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:–239/2013 के अन्तर्गत** जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड–नौगाव में कसलाना से चोपडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	27.06 [₹17.55 + ₹9.51 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	**मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 57/2013 के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड–जयहरीखाल में पट्टी मल्ला बदलपुर (गवाणा–रेडा–कमलखेत) मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	61.36 [₹46.80 + ₹14.56 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	**मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:– 27/2013 के अन्तर्गत** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड–एकेश्वर में रीठाखाल से मोल्टी तल्ली, मल्ली, चौती कुण्डोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	126.00 [₹46.80 + ₹79.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	**मा मुख्यमंत्री घोषणा 218/2013 के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विकासखण्ड–विकासनगर में ग्राम पंचायत बावनधार के मजरा स्वान तथा नयाखिल के लिए 2.00 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कार्य।	2.00	21.06 [₹11.70 + ₹9.36 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	**मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:–221/2013 के अन्तर्गत** जनपद देहरादून के विकासखण्ड–विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाल, ।।, । से पीपलसार तक भूड से 6 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कार्य।	6.00	63.18 [₹35.10 + ₹28.08 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	जनपद अल्मोड़ा के के विकासखण्ड–ताड़ीखेत में सौनी–देवलीखत–डयौडाखाल–सिलोर महादेब मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	9.00	52.65	0.10
8	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड–ताड़ीखेत में गनियाद्यौली–पाली–नदुली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से मोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.50	26.33	0.10
	योगः–	**50.50**	**436.14**	**0.80**

(कुल ₹ अस्सी हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

सहायक अभियंता
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
रानीखेत